जेपीआर–5– 304

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्यिक शाखा)

क्रमांक.जेपीडी / उमुअ(सीपीएण्डआरई) / अधी.अभि(वा.) / पत्रा.सी. I / एफ.4(251)पार्ट– III / प्रे. 2089 दि. 11-11-2005

आदेश

विषयः कृषि श्रेणी के बिलों को तदर्थ आधार पर बिलों का भुगतान स्वीकार करने के संबंध में।

पूर्व में आदेश क्रमांक 1726 दिनांक 12.09.2005 (जेपीआर–5–292) के द्वारा यह हिदायत दी गई थी कि सामान्य श्रेणी (मीटर्ड) (कोड–4000) को व सामान्य श्रेणी फ्लैट रेट (कोड– 4100) के कृषि उपभोक्ताओं के बिजली के बिल तदर्थ आधार पर पुरानी दरों पर (टैरिफ–2001) के अनुसार जमा कराये जा सकेंगें। उक्त आदेश में यह भी बताया गया था कि यद्यपि ये बिल नई दरों पर जारी किये जायेगें किन्तु किसानों से नई दरों पर भुगतान के लिए जोर नही दिया जाये एवं भुगतान पुरानी दरों पर स्वीकार किया जाये।

उक्त आदेश के क्रम में, राज्य सरकार के आदेशानुसार, बिलिंग माह दिसम्बर, 05 से कृषि के विशेष श्रेणी (फार्म हाऊस के अतिरिक्त) के उपभोक्ताओं के बिल भी नई दरों पर जारी किये जायें किन्तु बिलों का भुगतान पुरानी दरों पर लिया जाये एवं किसानों को नई दरों पर भुगतान के लिए जोर नहीं दिया जाये। उपरोक्त व्यवस्था बिलिंग माह जून, 2005 से जारी बिलों की बकाया राशि पर भी लागू होगी तथा ऐसे पूर्व में जारी बिलों की पुरानी दर की राशि की गणना उपखंड स्तर पर की जाकर बिल का भुगतान पुरानी दर पर स्वीकार किया जाये। बिलों का लेखांकन (Accounting) के बारे में दिशा निर्देश मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर के द्वारा पृथक से जारी किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी।

11/11/05

(बी.एल.अग्रवाल)
उप मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एण्ड आर.ई.)